UPRB010013862026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–566/2026

जफर अली उर्फ मो० सैफी उम्र 25 वर्ष,पुत्र मुनव्वर अली, निवासी कजियाना थाना गदागंज, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

....विपक्षी/अभियोगी।

11–03–2026

आवेदक–अभियुक्त **जफर अली उर्फ मो० सैफी** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या **30/2026**, धारा–**317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **गदागंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि–वादी विद्युत विभाग में यूनिवर्शल वोल्टास RDSS प्रोजेक्ट में वेण्डर के तौर पर कार्य करता है। जिसका गोदाम पूरे गौतम सुड्डा में बना रखा है। वादी के गोदाम में रखे लोहे के LT एंगल, ट्रान्सफारमर वेल्टिंग एंगल, नटबोल्ट 16X150,16X200,वी क्रास, एल्मुनियम तार आदि को हिमान्शु मौर्य, पिन्टू, विमल, देवेन्द्र द्वारा चोरी किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी और उसके कब्जे से चोरी के कथित माल की बरामदगी की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसा दिया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोइ समुचित स्पष्टीकरा नही दिया गया है। आवेदक–अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही हुयी है। फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। कथित बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतन्त्र चक्षुदर्शी जनसाक्षी नही दर्शाया गया है। पुलिस आवेदक–अभियुक्त को उसके घर से पकड़कर थाने ले गयी और फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 22–02–2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की और से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त द्वारा कथित चोरी की घटना कारित की गयी है। दौरान विवेचना आवेदक–अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके पास से चोरी के कथित माल की बरामदगी की गयी है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक व अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव के अनुसार दिनांक 21–02–2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 303(2)BNS के अपराध हेतु वादी के गोदाम से लोहे के LT एंगल, ट्रान्सफारमर वेल्टिंग एंगल, नटबोल्ट 16X150, 16X200, वी क्रास, एल्मुनियम तार आदि के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सह अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 22–02–2026 को सह अभियुक्त के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त की दूकान से उक्त चोरी के माल की बरामदगी दर्शायी गयी है, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त कबाड़ी का कार्य करता है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी संदर्भित नही किया गया है। कथित चोरी की घटना की कोई तिथि व समय वादी द्वारा न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है, और न ही इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य ही संदर्भित किया गया है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता हूँ। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त **जफर अली उर्फ मो० सैफी** को अपराध संख्या **30/2026**, धारा–**317(2),317(4) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **गदागंज,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगनको वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
11–03–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.11 15:31:55 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli